न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 50/23 दायर दिनांक: 23.05.2023

जीसीएमएस नं. 2023/112

कृष्ण मुरारी पुत्र श्री कल्याण प्रसाद जाति ब्राह्मण नि. करबा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—–वादी

बनाम

1 कल्याणप्रसाद पुत्र हरी 2 मोहनलाल पुत्र कल्याणप्रसाद 3 नवज्योति 4 जगदम्बा 5 हेमलता 6 लीना पुत्रीयान कल्याणप्रसाद जातियान ब्राह्मण नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री चन्द्रशेखर तिवारी —–वादी

2.सुरेन्द्र चौधरी —–प्रति.

निर्णय दिनांक 18.11.2024

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 251 रकबा 0.41, 257 रकबा 0.92, 258 रकबा 0.99, 259 रकबा 0.19, 260 रकबा 0.47, 261 रकबा 0.73, 262 रकबा 0.65 हैक्टे. किता 7 कुल 4.36 हैक्टे. में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या एक 1/6 हिस्से का एवं आ.ख.नं. 1141 रकबा 0.17, 1153 रकबा 0.45, 1154 रकबा 0.74, 1167 रकबा 0.13, 1168 रकबा 0.10, 1210 रकबा 0.32 हैक्टे. कुल किता 6 कुल रकबा 1.91 हैक्टे. मे प्रतिवादी संख्या एक 1/2 हिस्से का एवं आ.ख.नं. 252 रकबा 0.54, 253 रकबा 0.43, 254 रकबा 0.26, 255 रकबा 0.11, 256 रकबा 0.63 हैक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 1.97 हैक्टे. में प्रतिवादी संख्या 1/6 हिस्से का तथा आ.ख.नं. 1142 रकबा 0.71, 1157 रकबा 0.62 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर में प्रतिवादी संख्या एक 1/2 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के बाबा/पिता हरी से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी को जन्म से ही खातेदारी के अधिकार पैदा हो जाते है। प्रतिवादी संख्या एक परिवार का कर्त्ता खानदान होने की वजह से राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के बाबा/पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या एक के नाम उनके हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज हिस्सा में से वादी एवं प्रतिवादीगण 1/7, 1/7 हिस्से के खातेदार है और अपने हिस्से के अनुसार ही मौके पर काश्त कर रहे है।

उक्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई है और प्रतिवादीगण ने वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

रखा है तथा वादी को उसकी पैत्रिक एवं संयुक्त परिवार की खातेदारी की भूमि से महरूम करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या एक को अन्य प्रतिवादीगण ने अपने बहकावे में ले रखा है तथा उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है।

अतः वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी व उस पर मनन किया गया। पत्रावली एंव उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा जवाव दावा का भली भाँति अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जवाब दावे में प्रतिवादीगण द्वारा दावे के अधिकतर विन्दुओं को स्वीकार किया गया है।

अतः उक्त आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 251 रकबा 0.41, 257 रकबा 0.92, 258 रकवा 0.99, 259 रकवा 0.19, 260 रकबा 0.47, 261 रकबा 0.73, 262 रकबा 0.65, 1141 रकवा 0.17, 1153 रकवा 0.45, 1154 रकबा 0.74, 1167 रकबा 0.13, 1168 रकबा 0.10, 1210 रकवा 0.32, 252 रकवा 0.54, 253 रकबा 0.43, 254 रकबा 0.26, 255 रकबा 0.11, 256 रकवा 0.63, 1142 रकवा 0.71, 1157 रकबा 0.62 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर में प्रतिवादी संख्या एक कल्याणप्रसाद के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार 1/7, 1/7 हिस्से खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)